

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

श्री जयराम शास्त्री, प्राध्यापक (अंग्रेजी) निलम्बित जो कि वर्तमान में इस कार्यालय में उपस्थित दे रहे है को मकान किराया भत्ता नियम 1989-4(2) तथा 4(4) एवं समय-समय पर हुए संशोधित आदेशानुसार एवं नवीन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6 (4) एफडी (रूल्स) /2017 जयपुर दिनांक 09.12.2017 एवं एफ.6 (4) एफडी (रूल्स) /2017 दिनांक 22.07.2021 के अनुसरण में उपरोक्त कार्मिक को जो स्वयं/किराये के भवन में रह रहे है, को उपरोक्त नियमों के नियम 05 के अंतर्गत उनके सामने अंकित दिनांक से मूल वेतन का 18 प्रतिशत प्रति माह मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी मय पद सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	मकान किराया भत्ता स्वीकृति दिनांक
1	श्री जयराम शास्त्री प्राध्यापक (अंग्रेजी) (निलम्बित)	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर	19.12.2022

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-1/जयराम शास्त्री/निलम्बित-व्या-अंग्रेजी/2022 दि० 22.12.2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत ।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक , स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर